idara

दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल के मसाइल

मौलाना फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल के मसाइल

लेखक

मैलाना फ़ज़लुर्रहमान आज़मी

अनुवादक

अहमद नदीम नदवी

पुस्तक का नामः **दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल के मसाइल**

लेखक : मौलाना फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

अनुवादकः अहमद नदीम नदवी

प्रकाशन : 2014

ISBN 81-7101-486-0

TP-271-14

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)
Tel.: +91-11-2695 6832 & 085888 33786
Fax: +91-11-6617 3545 Email: **sales@idara.co**
Online Store: **www.idarastore.com**

Retail Shop:

IDARA IMPEX

Shop 6, Nizamia Complex, Gali Gadrian, Hazrat Nizamuddin
New Delhi-110013 (India) Tel.: 085888 44786

विषय-सूची

बिस्मिल्लाहिर्रहमाननिर्रहीम

दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल की हदीसें और मसाइल

अल-हम्दु लिवलीयिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व सह्बिही व अला जमीअि उम्मतिहिल्लती अला तरीक़िही व तरीक़ि सहाबतिही रज़ियल्लाहु अन्हुम अम्मा बाद,

इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामे हयात है। इसमें जिस तरह एतक़ादों, इबादतों, मामलों और अख़्लाक़ की तालीम है, उसी तरह मआशरत (समाजी रहन-सहन) भी उसका एक हिस्सा है। ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, काट-छांट और पहनावे के बारे में भी हिदायतें इस्लाम का हिस्सा हैं। एक कामिल मुसलामन वही हो सकता है जो इन इस्लामी तालीमात पर कारबन्द हो और सुन्नत की हिदायत को अपनाए।

बातिन का मामला तो अल्लाह तआला के हवाले है। ज़ाहिर के ठीक न होने से हर आदमी को इस्लाम में कमी दिखाई दे सकती है। इसलिए ज़ाहिर को ठीक किए बग़ैर इस्लाम के कमाल का दावा ग़लत है।

इस्लामी शरीअत ने बालों के बारे में भी ख़ास हिदायतें दी हैं। इस वक़्त हमारी बहस के तहत दाढ़ी का मामला है। दाढ़ी के बारे में सही हदीस में कई सहाबा किराम से हज़रत रसूलुल्लाह ﷺ का यह पाक इर्शाद नक़ल हुआ है कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मुश्रिकों और यहूदियों की मुख़ालफ़त करो और यह हुक्म हदीस व फ़िक़्ह के जम्हूर इमामों के यहां वाजिब के दर्जे का है। इसलिए ख़िलाफ़वर्ज़ी से आदमी फ़ासिक़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इमामत, अज़ान और इक़ामत सब मकरूह हो जाती है और उसकी गवाही रद्द कर दी जाती है। (आगे उसके हवाले आ रहे हैं) इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि इस हुक्म का पाक शरीअ़त में क्या मक़ाम है।

जमहूर इमामों के यहां आदमी को अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है और यह एक मुट्ठी थोढ़ी से नीचे से देखी और शुमार की जाएगी। इससे कम करना किसी के यहाँ जायज़ नहीं।

शरीअत के इस हुकम में बड़े फ़ायदे और मस्लहतें हैं, जिनकी तफ़्सील किताबों में मौजूद है। मुख़्तसर यह है कि हर क़ौम और मज़हब का ख़ास शिआर और ख़ास निशानी होती है, जैसा कि सिखों, पारसियों और अंग्रेज़ों को हम देखते हैं कि उनके ख़ास शआइर हैं, इसी तरह हुकूमत के अलग-अलग शोबों की भी ख़ास पहचान है। पुलिस वालों का अपना लिबास है, ट्रैफ़िक पुलिस का अलग लिबास है, फ़ौज की अलग युनिफ़ार्म है, भूमि की फ़ौज का अलग लिबास है, समुद्री फ़ौज का अलग लिबास है। इन पहचानों और निशानों का देखने वालों पर एक ख़ास असर पड़ता है और तारीख़ से ज़ाहिर है कि जिस क़ौम ने अपनी ख़ास पहचान को छोड़ दिया, वह अपना मुस्तक़िल वजूद खोकर दूसरी क़ौमों में गुम हो गई।

नबी करीम ﷺ दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ़ कुफ़्र व शिर्क था और मुश्रिकों के अपने तौर-तरीक़े थे। नबी ﷺ ने दीने इस्लाम की तरफ़ दावत दे कर जो उम्मत तैयार की, वह तमाम क़ौमों से मुम्ताज़ एक उम्मत थी। इस उम्मत ने हर चीज़ में नबी ﷺ की पैरवी की। इबादतों व आदतों से लेकर शक्ल व सूरत और लिबास व पोशाक में भी, क्योंकि अल्लाह ने इस उम्मत से फ़रमाया था–

'तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ में बेहतरीन नमूना है और इस उम्मत से अल्लाह तआला ने अपने रसूल के ज़रिए यह कहलाया था–

'कहो, अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत करते हो, तो मेरी पैरवी करो' और पैरवी कहते हैं, रसूल के नक़्शे क़दम पर चलने को। इसी से मालूम हो गया कि क़ुरआन के ज़रिए उम्मत को नबी ﷺ के उन तौर-तरीक़ों और शक्ल व सूरत को अख़्तियार करने का हुक्म है, जिनको अख़्तियार करने का नबी ने हुक्म दिया है। (इस तरह और भी आयतें क़ुरआन पाक में मौजूद हैं।)

यह दीने इस्लाम दीने फ़ितरत हैं। इसमें जिन मामलों का हुक्म दिया गया है, उसी को हर भला आदमी पसन्द करेगा और उसी में इंसान का फ़ायदा है। दाढ़ी रखना और मूछों को कतरना भी उसी में से है, इसी लिए यह तमाम नबियों का तरीक़ा रहा है। क़ुरआन पाक में है कि मूसा عليه السلام ने हारून عليه السلام

के सर और दाढ़ी के बाल पकड़े तो हारून अलै० ने फ़रमाया–

'मेरे सर और दाढ़ी के बाल न पकड़ो।'

इससे मालूम हुआ कि हारून ﷺ के सर और दाढ़ी के बाल इतने बड़े थे कि मूसा ﷺ ने उनको पकड़ लिया। हदीस पाक में दस चीज़ों को फ़ितरत से क़रार दिया गया है।

(तिर्मिज़ी, भाग 2, पृ०104 मय अल -उर्फ़ अश-शज़ी व मुस्लिम, भाग 1, पृ०129)

इसका मतलब उलेमा किराम ने यही बयान किया है कि ये चीज़ें अंबिया किराम की सुन्नत से हैं, इसमें दाढ़ी और मूछों को कटवाना भी है।

शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह० ने इसमें यह मस्लहत बयान फ़रमाई है–

दाढ़ी की शक्ल यह है कि इससे छोटे और बड़े की तमीज़ होती है और वह मर्दों के लिए शरफ़ और जमाल है और इसी से उनकी मरदाना शक्ल की तक्मील होती है और वह नबियों की सुन्नत है। इसलिए इसका रखना ज़रूरी है और इसका साफ़ करना यहूदियों, हिन्दुओं वग़ैरह अक्सर ग़ैर-मुस्लिम क़ौमों का तरीक़ा है, साथ ही चूंकि बाज़ारी क़िस्म के और नीची सतह के लोग आमतौर से दाढ़ियां नहीं रखते, इसलिए दाढ़ियां न रखना, गोया अपने को उन्हीं की सफ़ों में शामिल करना है।

–मआरिफ़ुल हदीस, भाग 3, पृ० 62 बतवस्सुत दाढ़ी और नबियों की सुन्नतें, पृ०, 129

दाढ़ी मुंडाने में एक ख़राबी यह भी है कि ग़ैर-मुस्लिमों के साथ मुशाबहत (एक जैसा होना) लाज़िम आती है और हदीस पाक में आया है–

जो जिस क़ौम के मुशाबेह हुआ, वह उन्हीं में से है। यह शरीयत का बहुत बड़ा उसूल और ज़ाब्ता है, जिससे बहुत से मसले निकलते हैं।

दूसरी एक ख़ूबी यह भी है कि दाढ़ी मुंडवाने से औरतों के साथ मुशाबहत लाज़िम आती है कि उनको दाढ़ी नहीं होती। हदीस में आया है–

لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشابهات من النساء بالرجال

(بخاری جلد۲، صفحه ۸۷٤ کتاب اللباس)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन मर्दों पर लानत भेजी जो औरतों की मुशाबहत अख़्तियार करें और उन औरतों पर भी जो मर्दों की मुशाबहत अख़्तियार करें।–बुख़ारी भाग 2, पृ० 874, किताबुल्लिबास (अल्लाह तआला रसूल के

लानत से हमें बचाए)

अल्लाह तआला ने मर्दों और औरतों में फ़ितरी तौर पर यह फ़र्क़ और इम्तियाज़ रखा है, जो लोग उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं, वे अहकमुल हाकिमीन के फ़ैसले की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ में तब्दीली कर रहे हैं। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं–

فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله۔ (الروم ٣٠)

'अल्लाह के ख़ल्क़ को मत बदलो' —अर्रूम 30

एक मुसलमान के लिए सिर्फ़ नबी पाक ﷺ का उस्वा ही मर मिटने के लिए काफ़ी है। आप ﷺ की दाढ़ी मुबारक ऐसी थी–

यानी आप ﷺ की दाढ़ी मुबारक सीने को भरे हुए थी दाएं से बाएं तक। —शिमाइले तिर्मिज़ी पृ० 28 आखिरी अभ्यास मुस्लिम शरीफ़ में है कि आपकी दाढ़ी के बाल बहुत थे। —मुस्लिम, भाग 2, पृ०259

और शिमाइले तिर्मिज़ी में है कि आप ﷺ घनी दाढ़ी वाले थे (शिमाइल, पृ० 2) मुहब्बत की कुछ झलक दिल में हो तो यही तसव्वुर कि नबी ﷺ के साथ मुझे मुशाबहत हो रही है, इत्तिबाअ के लिए काफ़ी है। वल्लाहु यक़ूलुल हुक़्क़ु व हु-व यह्दिस्सबील०–

—फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी
ज़िल हिज्जा 1415 हि०
मई 1995, दिन मंगल

मसाइल (मसूअले)

फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द मुदल्लल व मुकम्मल में है—

फ़तवा नं० 967 : जो मुसलमान दाढ़ी मुंडवाते हैं, या एक मुट्ठी से कम कतरवाते हैं, वे फ़ासिक़ हैं, उन के पीछे नमाज़ मकरूह है।

—फ़तावा दारुल उलूम, भाग 3, पृ० 240

फ़तवा नं० 935 : वह (दाढ़ी मुंडा शख़्स) फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ की इमामत, जैसे फ़र्ज़ों में, मकरूहे तहरीमी है। तरावीह में भी मकरूह है।

—वही, भाग 3, पृ० 226

अहसनुल फ़तावा में मुफ़्ती (रशदि अहमद लुधियानवी) मद्द जिल्लहू लिखते हैं—

दाढी मुंडाने या कतराने वाला और अंग्रेज़ी बाल रखने वाला फ़ासिक़ है, इसलिए उसकी अज़ान व इक़ामत मकरूहे तहरीमी है। उसकी अज़ान का दोहराया जाना मुस्तहब है, इक़ामत का नहीं।—अहसनुल फ़तावा, भाग 2, पृ०286

अद्दुर्रुल मुख़्तार में है कि—

واما الاخذ منها وهی دون ذالك كما يفعلة بعض المغاربة و مخنثة الرجال فلم يُبِحه احد واَخذُ كُلِهًا فعلُ يهودِ الهند ومجوسِ الاعاجم۔

(الدر المختار مع الشامی جلد۲، صفحه ۱۲۳ رشیدیه)

यानी दाढ़ी को एक मुट्ठी से कम करना, जैसा कि मग़िरब के कुछ लोग और मुख़न्नस क़िस्म के मर्द करते हैं, उसको किसी ने जायज़ क़रार नहीं दिया और पूरी दाढ़ी ले लेना यह हिन्दुस्तान के यहूदियों और अजम के मजूसियों के काम हैं। —अद्दुर्रुल मुख़्तार मय शामी, भाग 2, पृ० 123, रशीदिया

इस इबारत से मालूम हुआ कि दाढ़ी को मुंडवाना और एक मुश्त से कम कराना, ये दोनों किसी के यहां जायज़ नहीं। इस पर तमाम उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है, किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। इस मसले पर चारों फ़िक्ह (हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हंबली) के उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है।

—अल-मंहलुल ग़रबिल मौरूद फ़ी शरहे सुनने अबूदाऊद भाग 1, पृ०186

इब्ने हज़्म ज़ाहिरी ने दाढ़ी रखने के फ़र्ज़ कहा।—अल-महल्ली, भाग 2, पृ० 220

चारों फ़िक़्ह के उलेमा की इबारतें हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया रह० की किताब 'दाढ़ी का वजूब' और मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद पालनपुरी की किताब 'दाढ़ी और नबियों की सुन्नतें' और मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी की किताब 'जवाहिरुल फ़िक़्ह' में देखी जा सकती हैं।

दाढ़ी के वाजिब होने की दलीलें

ये तमाम उलेमा किराम, कम से कम एक मुट्ठी दाढ़ी रखने को फ़र्ज़ या वाजिब और उसके कम करने को हराम इसलिए कहते हैं कि यही फ़ितरते इलाही है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है और हमारे नबी ﷺ ने इसका ताकीदी हुक्म फ़रमाया है। आपने और आपके तमाम सहाबा ने इस पर अमल किया है और दाढ़ी मुंडवाने वाले काफ़िरों से आप ﷺ ने सख़्त नफ़रत फ़रमाई है। उनकी तरफ़ देखना भी पसन्द नहीं फ़रमाया, कुछ हदीसें देखें—

1. इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया—
'मुश्रिकों की मुख़ालफ़त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ।'

—बुख़ारी, किताबुल्लिबास, भाग 2, पृ० 875

2. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह ﷺ ने मूंछों को काटो और दाढ़ी को लटकाओ, मजूसियों की मुख़ालफ़त करो।

—मुस्लिम भाग, 1 पृ० 129, पाकिस्तान एडीशन

3. हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत ﷺ ने फ़रमाया—
दस चीज़ें फ़ितरत से हैं—
मुंछों को काटना और दाढ़ी को बढ़ाना (जिसमें शामिल है।)

—मुस्लिम, भाग 1, पृ० 129

सहीह अबू अवाना में फ़ितरत के बजाए सुन्नत का लफ़्ज़ है।

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 279

4. इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत ﷺ ने उन मर्दों पर लानत भेजी है जो औरतों की मुशाबहत अख़्तियार करें और एक रिवायत में यह है कि ऐसे लोगों को घरों से निकाल दो।' —बुख़ारी, भाग 2, पृ० 874

इस मानी की रिवायतों से मुज्तहिद इमामों और फ़ुक़हा किराम ने वाजिब समझा, इसलिए कि अम्र (हुक्म) सीग़ा वाजिब के दर्जे में होता है, जबकि

उससे फेरनेवाला कोई क़रीना न हो और यहां कोई क़रीना नहीं।

इमाम नववी मुस्लिम शरीफ़ की शरह में लिखते हैं कि 'एफ़ा' का मतलब है ज़्यादा करना, और यही मतलब है दूसरे लफ़्ज़ 'अरख़ू' का और फ़ारस के लोगों की आदत थी दाढ़ी को काटना। शरीअत ने इससे मना कर दिया। —शरह मुस्लिम, भाग 1, पृ० 129

फिर नववी रह० ने यह भी लिखा है कि रिवायतों से पांच कलिमे हासिल हुए, इन सबके मानी यह हैं कि दाढ़ी को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। —भाग 1, पृ० 129

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने भी शरह बुख़ारी में लिखा कि मजूस अपनी दाढ़ियां काटते थे और कुछ मुंडाते भी थे। हदीस में उन्हीं की मुख़ालफ़त का हुक्म है। —फ़त्हुल बारी, भाग 10 पृ० 288

देखिए हज़रत ﷺ के इस हुक्म पर तमाम ताबिईन और सालेह मोमिनों ने अमल किया, किसी से उसके ख़िलाफ़ रिवायत नहीं मिलती, बल्कि न रखने पर नकीर और वईद की रिवायत है, इसलिए यह हुक्म वाजिब हुआ।

हदीस न० 4 से मालूम हुआ कि जो दाढ़ी मुंडा कर औरतों के मुशाबेह हुआ, वह रिसालत की ज़ुबान में मलऊन और ख़ुदा की रहमत से दूर हुआ और जिस गुनाह पर लानत की धमकी होती है, वह गुनाह कबीरा होता है, इसलिए यह गुनाह कबीरा है और जो कबीरा गुनाह कर बैठे वह फ़ासिक़ यानी अल्लाह के हुक्म और इताअत से ख़ारिज होता है और फ़ासिक़ की इमामत और अज़ान मकरूह होती है, उसी तरह फ़ासिक़ की शहादत (गवाही) भी रद्द हो जाती है, इसलिए मुफ़्तियाने किराम ने वे फ़तवे दिए जिनका ज़िक्र शुरू में हो गया। (अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को इस लानत से बचाए) आमीन।

दाढ़ी मुंडे से आंहुज़ूर ﷺ की नफ़रत का एक वाक़िया

हाफ़िज इब्ने कसीर ने अल-बिदाया वन्निहाया में यह वाक़िया ज़िक्र किया है कि किसरा के नायब बाज़ान ने अपने दो आदमी हज़रत ﷺ की ख़िदमत में भेजे थे कि हज़रत को (नऊज़ुबिल्लाह) गिरफ़्तार करके लाएं। जब ये दोनों पहुंचे जो उनकी दाढ़ियां मुंडी हुई और मूंछे लंबी थीं। हज़रत ﷺ ने उनकी तरफ़ देखना भी पसन्द नहीं फ़रमाया और पूछा कि तुमको किसने ऐसा करने को कहा। इन दोनों ने कहा, हमारे रब यानी किसरा (शाहे ईरान) ने!

आप ﷺ ने फ़रमाया लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दाढ़ी बढ़ाऊं और मूंछें कटाऊं। —अल-बिदाया वन्निहाया, भाग 4, पृ० 270

दूसरी कई किताबों में भी इस वाक़िए का ज़िक्र किया गया है।

तंबीह 1. देखिए काफ़िर होने के बावजूद हज़रत ﷺ ने उन पर नकीर फ़रमाई और उनकी शक्ल देखना पसन्द नहीं फ़रमाया। एक मुसलमान, आपके नाम का कलिमा पढ़ने वाला और आपकी मुहब्बत का दम भरने वाला उम्मती जब ऐसा करेगा तो आपको किस क़दर नागवारी होगी, सोचो और ग़ौर करो।

क़ब्र में तीन सवालों में से एक सवाल यह भी होगा 'मा तक़ूलु फ़ी हाज़र्रुजुल' कुछ उलेमा के क़ौल के मुताबिक़ हज़रत ﷺ का मुबारक चेहरा पेश करके यह पूछा जाएगा। एक दाढ़ी मुंडा शख़्स अपना चेहरा किस तरह हज़रत के सामने पेश करेगा, अगर आपने नागवारी की वजह से अपना चेहरा फेर लिया तो, कैसी महरूमी होगी? —दाढ़ी के वुजूब से लिया गया

हश्र के मैदान में भी सामना होगा। हम आप ﷺ की शफ़ाअत के बहरहाल मुहताज हैं। अगर वहां भी हज़रत ने अपना मुबारक चेहरा फेर लिया या पूछ लिया कि मेरे तरीक़े में तुमको क्या ख़राबी नज़र आई और कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के तरीक़े में क्या ख़ूबी नज़र आई थी कि तुमने मेरी शक्ल नहीं बनाई, बल्कि मेरे दुश्मनों जैसी बनाई तो आदमी क्या जवाब देगा? अल्लाह तआला सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमको पूरी ज़िंदगी हज़रत रसूलुल्लाह ﷺ के नक़्शे क़दम पर गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए (आमीन)

तंबीह 2. बुहत से गुनाह जैसे ज़िना, लवातत, शराबनोशी, झूठ, चोरी ऐसे हैं कि जब तक आदमी उन्हें करता है, उस वक़्त तक गुनाहगार रहता है। जब बाज़ आ जाता है तो गुनाह का काम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन दाढ़ी कटाना या मुंडाना ऐसा गुनाह है कि जब तक आदमी तौबा न करे और शरई दाढ़ी न रखे, उस वक़्त तक उसका गुनाह क़ायम और बाक़ी रहता है। इबादत कर रहा है तब भी गुनाहगार है, सो रहा है या खा पी रहा है, उसका यह गुनाह क़ायम या बाक़ी है। देखिए क्या ख़बीस गुनाह है यह! मुलाक़ात के वक़्त जिस तरह रसूलुल्लाह ﷺ को नफ़रत थी, अगर अल्लाह तआला भी बन्दे की तरफ़ तवज्जोह न फ़रमाएं तो ऐसे बन्दे की इबादतें भी क़ुबूलियत का मक़ाम न हासिल कर सकेंगी, फिर आख़िरत का क्या हाल होगा? सोचने

और ग़ौर करने की बात है? —'दाढ़ी का वजूब' से लिया गया

एक वाक़िया मिर्ज़ा क़तील एक फ़ारसी शायर गुज़रे हैं। उन्होंने मारफ़त और हिक्मत के शेर (पद) भी कहे हैं। एक ईरानी आदमी उनके शेर (पद) पढ़ कर मोतक़िद हो गया और मुलाक़ात व ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ, समझा कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग होंगे। जब पहुंचा तो देखा कि मिर्ज़ा साहब दाढ़ी मूंड रहे हैं। उस ईरानी ने ताज्जुब से पूछा, आप दाढ़ी मूंड रहे हैं? मिर्ज़ा ने कहा, हां, अपनी दाढ़ी मूंड रहा हूं, लेकिन किसी का दिल ज़ख़्मी नहीं कर रहा हूं। उस ईरानी ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं! आप अल्लाह के रसूल ﷺ का दिल ज़ख़्मी कर रहे हैं। यह सुनकर मिर्ज़ा साहब बेहोश हो गए। होश आया तो फ़ारसी में यह शेर पढ़ा—

जज़ाकल्लाह कि चश्मम बाज़ कर दी,
मेरा बा जानेजां हमराज़ कर दी।

जिसका मतलब यह है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी आंख खोल दी और मुझे मेरे क़ल्ब की रूह तक पहुंचा दिया यानी बात समझा दी।

—दाढ़ी का वजूब : हज़रत शेख मुहम्मद जकरिया रह०

दाढ़ी की मिक़्दार

दाढ़ी की वह मिक़्दार क्या है, जिस पर अमल कर लेने से वाजिब अदा हो जाता है, इसमें उलेमा का इख़्तिलाफ़ है।

1. एक जमाअत यह कहती है कि दाढ़ी की कोई मिक़्दार नहीं। जितनी भी बड़ी हो जाए, उसको हाथ न लगाया जाए और न काटा जाए। उनकी दलील यह है कि हदीसों में अलग-अलग लफ़्ज़ आए हुए हैं। उन सब का हासिल यह है कि दाढ़ी को छोड़ दिया जाए कि बढ़ती रहे और किसी हदीस से इसको काटना या छोटा करना आंहज़रत ﷺ से साबित नहीं। इमाम नववी रह० लिखते हैं कि यही हदीस के लफ़्ज़ों के ज़ाहिर का तक़ाज़ा है और इसी की उलेमा की एक जमाअत क़ायल है। इनमें शाफ़ई भी हैं और इनके अलावा भी।

—शरह नववी मय मुस्लिम, भाग 1, पृ० 128

2. दूसरी जमाअत कहती है कि हदीसों का मक़्सद यह नहीं है कि दाढ़ी को बिल्कुल हाथ न लगाया जाए, अगरचे बहुत बड़ी हो जाए, बल्कि हदीसों का मंशा यह है कि इतनी बड़ी हो जाए कि यहूदी की मुख़ालफ़त हो जाए

जो मुंडाते और छोटी कराते थे। इसलिए इस जमाअत से कुछ लोग यह कहते हैं, (इन्हीं में हनफ़ी भी हैं) कि एक मुट्ठी से ज़्यादा हो जाए तो काट दी जाए, इसकी दलील यह है कि मर्फ़ूअ हदीसों के रावी हज़रत इब्ने उमर रज़ि० और अबूहुरैरह रज़ि० हैं और हज़रत उमर से यह रिवायत की गई है कि ये लोग मुट्ठी से ज़्यादा को काट देते थे और हदीस के रावी, हदीस के मानी को अच्छी तरह समझते थे। उनके काम से हदीस के मंशा को हम मालूम कर सकते हैं।

इमाम बुख़ारी का रुझान भी यही मालूम होता है। बाब तक़लीमुल अज़्फ़ार में मरफ़ूअ हदीस (जिसमें दाढ़ी को छोड़ने और मूंछ को मुबालग़े से काटने का ज़िक्र है) ज़िक्र करने के बाद इब्ने उमर रज़ि० का यह काम ज़िक्र किया है कि जब हज या उमरे को जाते तो अपनी मुट्ठी को पकड़ते और जो ज़्यादा होता, उसको काट देते। — बुख़ारी, भाग 2, पृ०787

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि ज़ाहिर यह है कि इब्ने उमर रजि० हज व उमरा के साथ कम करने को ख़ास नहीं समझते थे, बल्कि 'बढ़ाने' का मतलब यह लेते थे कि दाढ़ी बढ़ाई जाए, लेकिन इतनी नहीं कि दाढ़ी के बढ़ने से आदमी की शक्ल बुरी मालूम होने लगे। फिर हाफ़िज़ ने तबरी का कलाम नक़ल किया है, जिसमें इब्ने उमर रज़ि० व अबूहुरैरह ؓ और हज़रत उमर रज़ि० का काम ज़िक्र किया गया है, (जो मुतलक़ है, हज व उमरा की क़ैद नहीं)

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 350

कुछ लोग यह कहते हैं कि दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हां हज और अमरा के वक़्त यानी, एक क़ब्ज़े के बाद काट सकते हैं। तबरी ने इस क़ौल को एक जमाअत से नक़ल किया। अबूदाऊद में हज़रत जाबिर से हसन सनद के साथ रिवायत किया गया है, वह फ़रमाते हैं कि हम सबाल को (लम्बी दाढ़ी को) छोड़ देते थे, मगर हज या उमरा में। इससे मालूम हुआ कि नसुक (हज व उमरा) के वक़्त कम करते थे, दूसरे वक़्त में नहीं। —फ़त्हुल बारी, पृ० 350

तबरी ने अता का क़ौल अख़्तियार किया है। हसन बसरी रह० और अता से यह नक़ल किया गया है कि दाढ़ी की लम्बाई-चौड़ाई से कुछ काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तबरी ने इसके लिए तिर्मिज़ी की रिवायत से दलील ली है, जिसमें इसका ज़िक्र है कि आंहज़रत ﷺ अपनी दाढ़ी की लम्बाई-चौड़ाई से कुछ काट लेते थे। —तिर्मिज़ी, भाग 2, पृ० 105

लेकिन तिर्मिज़ी की यह रिवायत बहुत ज़ईफ़ है, दलील लेने के लायक़

नहीं। इसलिए सहाबा किराम के फ़ेल से दलील लेना मुनासिब है और तिर्मिज़ी की रिवायत सिर्फ़ ताईद के लिए पेश करना चाहिए और सहाबा के फ़ेल में क़ब्ज़े की क़ैद का ज़िक्र किया गया है।

दूसरी तरफ़ इमाम नववी हैं, जो यह कहते हैं कि पहला क़ौल बेहतर है, इसलिए कि सहीह हदीसों में दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म है, इसलिए आख़्तियार करने की बात यह है कि बिल्कुल उसे छेड़ा न जाए। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि नववी की मुराद शायद ग़ैर-नुसुक में है, इसलिए कि इमाम शाफ़ई रह० ने यह वज़ाहत की है कि नुसुक में तक़सीर (कम करना) मुस्तहब है।

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 350

तंबीह— इस पूरी बहस से यह ज़ाहिर है कि एक मुट्ठी से कम करने के क़ौल में गुंजाइश नहीं। कुछ किताबों में लिखा है कि एक मुट्ठी दाढ़ी मस्नून है।

—दुर्रे मुख़्तार, भाग 2, पृ०123 रशीदिया

इसका मतलब यह नहीं है कि दाढ़ी रखना वाजिब नहीं, सिर्फ़ सुन्नत है, न रखा, तब भी कोई हरज नहीं। ऐसा समझना ग़लती है, इसलिए कि इसके बाद ही उस बात का ज़िक्र किया गया है, जिसका पहले ज़िक्र हुआ कि एक मुट्ठी से कम करना जायज़ नहीं, यह कुछ मुग़ारबा और मुख़न्नस मर्दों का काम है।

इसलिए इस इबारत का सही मतलब यह है कि एक मुट्ठी के बाद काट देना सुन्नत है, यानी दाढ़ी रखना जों वाजिब है, वह एक मुट्ठी से अदा हो जाता है। इस वाजिब को अदा करने का सुन्नत तरीक़ा यह है कि सिर्फ़ एक मुट्ठी हो, उससे ज़्यादा को काट दे। यह उस इबारत का मतलब है जो दाढ़ी बढ़ाने के वाजिब होने के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन यह दावा कि एक मुट्ठी के बाद काट देना सुन्नत है, दलील का मुहताज है, किसी क़ौली या फ़ेली मर्फ़ूअ हदीस से इसका सबूत नहीं। तिर्मिज़ी की हदीस दलील लेने लायक़ नहीं। इसमें उमर बिन हारून बहुत ज़ईफ़ रावी है और इसमें क़ुब्ज़े यानी मुट्ठी का लफ़्ज़ भी नहीं।

इसलिए इमाम शाफ़ई ने नुसुक में सिर्फ़ मुस्तहब कहा न कि सुन्नत और इमाम बुख़ारी ने जो रिवायत हज़रत इब्ने उमर रज़ि० की ज़िक्र की है, इसमें है कि हज या उमरा के वक़्त ऐसा करते थे। ज़ाहिर है कि बाद में एक क़ब्ज़े से ज़्यादा हो जाती रही होगी और अगर यह माना जाए कि बग़ैर हज व उमरा के भी ऐसा करते हैं, जैसाकि तबरी की रिवायत की वजह से हाफ़िज़ का रुझान है,

तो भी सहाबा के फेल से सुन्नियत साबित नहीं हो सकती, बल्कि ज़ाहिर हदीस के ख़िलाफ़ होने की वजह से इस्तिस्ना के दर्जे में मान कर रुख़्सत और इजाज़त ही साबित हो सकती है, इसलिए यह कहना मुनासिब होगा कि एक क़ुब्ज़े (मुट्ठी) के बाद काट सकते हैं।

शाह मुहम्मद इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रह० के नज़दीक एक क़ुब्ज़े के बाद भी न काटना औला है। —हाशिया तिर्मिज़ी, भाग 2, पृ० 105

कुछ लोगों ने यह भी लिख दिया है कि एक क़ुब्ज़े के बाद काट देना वाजिब है। यह क़ौल भी सही नहीं। जब सुन्नत होना साबित नहीं होता, तो वाजिब होना कहां से साबित होगा? इसलिए उनके कलाम में वाजिब होने को साबित के मानी में लेना चाहिए और कुछ लोगों ने 'यजिबु' (वाजिब होना) के बजाए 'युहिब्बु' (पसन्दीदा होना) नक़ल किया है।

—दुर्रे मुख़्तार और शामी, भाग 2, पृ० 123

इसी तरह यह कहना भी सही नहीं है कि दाढ़ी की कोई मिक़्दार नहीं, जिसको आप दाढ़ी समझ लें वह दाढ़ी है। (इस तरह की बात मौदूदी साहब ने लिखी है, उनकी किताब 'रसाइल व मसाइल' में इस बात का ज़िक्र किया गया है।) इसलिए कि शरीअत ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया है, ताकि वह बढ़े। अगर इब्ने उमर रज़ि० वग़ैरह सहाबा के अफ़आल (काम) न होते, तो एक मुट्ठी के बाद भी काटने की इजाज़त न होती, लेकिन इन अफ़आल की वजह से एक क़ुब्ज़े के बाद काटने की इजाज़त हो गई। एक क़ुब्ज़े से कम करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह जायज़ न होने के तहत है। अबुल आला मौदूदी साहब की बात उलेमा के इज्माअ़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए कई उलेमा ने, यहां तक कि जमाअत इस्लामी के लोगों ने भी उनकी तर्दीद (खंडन) की है।'

हज़रत ﷺ की दाढ़ी घनी और बाल ज़्यादा थे, जैसा कि गुज़र चुका और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की दाढ़ियां भी घनी थीं और दाढ़ी इस्लाम के शआइर (पहचान) से भी है, इसलिए उसको नुमायां होना चाहिए। इसलिए जम्हूर उलेमा के नज़दीक एक क़ुब्ज़े (मुट्ठी) से कम करना जायज़ नहीं। एक जमाअत के नज़दीक़ एक क़ुब्ज़े के बाद काटना चाहिए या काट सकते हैं।

दूसरी जमाअत कहती कि सिर्फ़ हज या उमरा में काटें, इसके बग़ैर नहीं।

तीसरी जमाअत कहती है कि एक क़ुब्ज़े में भी न काटें, अलावा इसके कि बहुत बड़ी हो जाए, जिसकी वजह से आदमी का मज़ाक़ उड़ाया जाए, तब

थोड़ी सी काट दें और चौथी जमाअत कहती है कि किसी हाल में बिल्कुल हाथ न लगाएं। इसीको नववी, शौकानी वग़ैरह ने अख़्तियार किया है। ये लोग सहाबा किराम इब्ने उमर रज़ि० वग़ैरह के फ़ेल (कार्य) को ख़ुसूसी दर्जे में नहीं मानते। हनफ़ियों ने पहले क़ौल को अपनाया और क़ुब्ज़े के बाद काटने के क़ायल हुए। ये लोग इब्ने उमर रज़ि० वग़ैरह के फ़ेल (कार्य) को ख़ास मानते हैं। इससे रूख़्सत साबित करते हैं। यही क़ौल सबसे मुनासिब मालूम होता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

मस्अला 'अनफ़क़ा' (यानी दाढ़ी बच्चा) जो बाल नीचे के होंठ के नीचे दर्मियान में ठोढ़ी के ऊपर होते हैं और उनको अनफ़क़ा कहते हैं, वे भी दाढ़ी के हुक्म में हैं। उनका मूंडना या कतरना भी हराम और बिदअत है। (फ़ैज़ुलबारी, भाग 4, पृ० 380, और दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 571) बुख़ारी शरीफ़ में है कि आंहज़रत ﷺ की दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। —भाग 1, पृ० 502)

इससे मालूम हुआ कि हज़रत ﷺ की दाढ़ी की तरह से ये बाल भी महफ़ूज़ थे।

एक शुबहा और उसका जवाब

सवाल—एक शुबहा यह पेश किया जाता है कि क़ुरआन में दाढ़ी का मसला बयान नहीं हुआ। इस्लाम में अगर अहमियत होती तो क़ुरआन में यह मसला बयान होना चाहिए था।

जवाब—यह कहना कि क़ुरआन में दाढ़ी का ज़िक्र नहीं, यह सही नहीं। सूराः ताहा में मूसा व हारून عليه السلام के क़िस्से में 'यब-न- उम्म ला ताखुज़ बिलिहयती व ला बिरासी' (ता-हा 74) आया है जिसमें यह ज़िक्र किया गया है कि मूसा عليه السلام ने हारून عليه السلام की दाढ़ी और सर के बाल को पकड़ लिया तो हज़रत हारून عليه السلام ने यह फ़रमाया कि ऐ मेरे भाई! मेरी दाढ़ी और सर के बाल को मत पकड़िए। इससे मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बाल इतने बड़े थे कि मूसा عليه السلام ने उनको हाथ से पकड़ लिया था। इससे नबी हारून عليه السلام की लम्बी दाढ़ी का पता चला।

और सूरः अनआम में अल्लाह तआला ने बहुत से नबियों (अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम,) का तज़्किरा फ़रमाया, जिनमें हारून عليه السلام भी हैं, फिर आंहज़रत ﷺ को ख़िताब करके फ़रमाया—

यानी 'इन लोगों को अल्लाह तआला ने हिदायत दी है। आप उनकी हिदायत और सीरत की पैरवी करें'। उनमें हारून ﷺ की पैरवी उनकी दाढ़ी में भी शामिल है और जब हज़रत ﷺ इस पर मामूर हुए तो उम्मत भी ला महाला उस पर मामूर हुई। इस तरह इस मसले का क़ुरआन मजीद में भी ज़िक्र किया गया है। 'ख़ल्क़ुल्लाह' से आयत में क्या मुराद है, तो तफ़्सीर लिखने वाले इब्ने जरीर ने दो बातें कही हैं—

1. जिस्मानी तग़ईर जैसे ख़स्सी करना, या जानवरों के बाल काटना या बालों को चुनना वग़ैरह,

2. अल्लाह तआला के दीन और हुक्म मे तग़ईर

इब्ने जरीर ने दूसरे मानी को यहां तर्जीह दी है, इसलिए कि इससे पहले इसका ज़िक्र किया गया है—

(मैं हुक्म दूंगा तो वे ज़ानवरों के कान काटेंगे। अब अगर ख़ल्क़ुल्लाह से जिस्मानी तब्दीली मुराद ली जाए तो तकरार लाज़िम आएगी और तासीस औला है ताकिद से। इसलिए अल्लाह के दीन में तब्दीली मुराद लेना बेहतर होगा और इसमें हर गुनाह और नाफ़रमानी दाख़िल होगी, फ़र्ज़ और वाजिब को छोड़ना भी और मालूम है कि शैतान हर नाफ़रमानी का हुक्म देता है और करने के वे काम जिनका हुक्म दिया गया है, उनसे रोकता है।

—तफ़्सीर इब्ने जरीर, तबरी, भाग 5, पृ० 285

इस तरह भी इस मसले का क़ुरआन में ज़िक्र किया गया है।

इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में हज़रत हसन बसरी रह० से नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया कि दस काम हैं जिनको क़ौमे लूत ने किया और उनकी वजह से हलाक हुई। मेरी उम्मत एक काम बढ़ाएगी, उनमें दाढ़ी को काटना और मूंछों को बढ़ाना है। इस रिवायत को इसहाक़ बिन बशीर और ख़तीब और इब्ने असाकिर से नक़ल किया है।

—दुर्रे मंसूर, भाग 4, पृ० 324

फिर यह भी याद रखना चाहिए कि क़ुरआन पाक अल्लाह तआला की तरफ़ से एक दस्तूर की शक्ल में नाज़िल हुआ है, इसलिए वह बुनियादी बातें बयान करता है, छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ता, जैसा कि हर मुल्क और हुकूमत के दस्तूर का हाल है और यह क़ुरआन सीधे-सीधे इंसानों को नहीं मिला है, बल्कि

रसूले ख़ुदा ﷺ के ज़रिए मिला है और अल्लाह के रसूल ﷺ ही इस दस्तूर की तशरीह करने वाले और लागू करने वाले हैं।

और हज़रत ﷺ ने फ़रमाया कि मुझे क़ुरआन भी दिया गया है और उसी जैसी चीज़ और उसके साथ दी गई है। (यानी हदीस, जो वह्य ग़ैर मत्लू से मिली है।) —अबू दाऊद, दारमी, मिश्कात, बाबुल किताब वस्सुन्नः पृ०29

इसी लिए गधे, बिल्ली, चूहे को हराम माना जाता है, इस के बावजूद कि क़ुरआन में उन की हुर्मत नहीं बयान हुई है, हां यह 'व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस' (आराफ़ 159) के आम मानी में दाख़िल है और हदीस में असकी वज़ाहत की गई है। इसी लिए अल्लाह तआला ने फ़रमाया—

यानी 'अल्लाह के रसूल ﷺ तुमको जो दें ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ' इसलिए हदीस पर अमल करना क़ुरआन पर अमल करना है और हदीसों को छोड़ना क़ुरआन को छोड़ना है, तो जिस चीज़ का हदीसों में ज़िक्र आया, गोया वह क़ुरआन में भी है। बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत है कि इब्ने मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया—अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो गोदना गोदें और गोदना गुदवाएं और चेहरों के बालों को उखाड़ें और उखड़वाएं और जो हुस्न के लिए दांतों को रेत कर कुशादा कराएं, वे अल्लाह की ख़ल्क़ में तब्दीली करती हैं। इब्ने मसऊद की बात क़बीला बनू असद की एक औरत को, जिसको उम्मे याक़ूब कहा जाता था, मालूम हुई तो वह इब्ने मसऊद के पास आई और कहा कि मुझे यह ख़बर मिली है कि आपने फ़लां-फ़लां क़िस्म की औरतों पर लानत भेजी है।

इब्ने मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया, मैं क्यों न लानत भेजूं जिन पर अल्लाह के रसूल ﷺ ने लानत भेजी और जिनका ज़िक्र अल्लाह की किताब में भी है? उस औरत ने कहा, मैंने पूरा क़ुरआन पढ़ा है उसमें यह नहीं है जो आप कह रहे हैं। फ़रमाया, अगर तुमने (ग़ौर से समझकर) पढ़ा होता तो ज़रूर पाती, क्या यह आयत नहीं पढ़ी है—

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

'जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया, उसे पकड़ लो और जिससे मना किया उससे रुक जाओ।'

उस औरत ने कहा, जी हां। फ़रमाया, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उससे मना फ़रमाया है। उस औरत ने कहा, मेरा गुमान यह है कि आपके घर की

औरत (बीवी) ऐसा करती है। इब्ने मसूऊद रज़ि० ने फ़रमाया, जाकर देख ले। वह औरत देखने गई, लेकिन उसका गुमान ग़लत निकला। इब्ने मसूऊद रज़ि० ने फ़रमाया, अगर मेरी औरत ऐसी होती (यानी यह ग़लत काम करती, जिससे हज़रत ﷺ ने मना फ़रमाया है), तो मेरे साथ नहीं रह सकती थी।

—बुख़ारी शरीफ़, भाग 2, पृ० 725

देखिए इस सही हदीस से मालूम हुआ कि जो कुछ हदीसों में है, गोया कि वह क़ुरआन में भी है—

'जो कुछ रसूल दें उसे पकड़ लों' में नबी ﷺ की तमाम बातें दाख़िल है।

फ़ायादा— इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि गोदना गोदना, गुदवाना और चेहरे के बाल उखाड़ना, उखड़वाना और रेत कर दांतों को कुशादा करना, यह सब अल्लाह की बनावट में तब्दीली है और लानत की वजह है, इसलिए कि शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ठीक इसी तरह दाढ़ी के बालों को मुंडवाना या कतरवाना भी अल्लाह की बनावट में तब्दीली और लानत की वजह है, इसलिए कि शरीयत ने उससे सख़्ती से मना फ़रमाया है।

एक अहम और ज़रूरी हिदायत

अब तक जो क़ुरआन व हदीस से दलीलें पेश की जा चुकी हैं, वे किसी भी हक़ व हिदायत के तालिब के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं, इसके बावजूद अगर किसी को इत्मीनान न हो, तो यह क़ुरआन व हदीस पर बे-इत्मीनानी है, बल्कि तमाम नेक बुज़ुर्गों पर, इसलिए कि यह मामला तमाम बुज़ुर्गों के दर्मियान इत्तिफ़ाक़ का दर्जा रखता है, इसलिए अपने ईमान पर नज़रसानी करनी चाहिए कि हमारा क़ुरआन व हदीस पर सच्चा ईमान है या नहीं और किस तरह सच्चा ईमान हासिल हो सकता है।

बहुत से मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि दाढ़ी इस्लामी शिआर है और बहुत अहम है, लेकिन बुरी आदत पड़ जाने और ग़लत सोसाइटी और माहौल में रहने की वजह से उनको दाढ़ी रखने की जुर्रात और हिम्मत नहीं होती, सोचते हैं कि अगर रख ली तो दोस्त अहबाब ताना देंगे और मलामत करेंगे और ईमान व इस्लाम इस पर टिका हुआ नहीं। इसके बग़ैर भी हम मुसलमान हैं। इस तरह हम अपने दिल को बहला लेते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए

कि इस्लाम का मतलब है अपने को मुकम्मल तौर पर ख़ुदा के हवाले कर देना और पूरे तौर पर नबी ﷺ के तरीक़े का पाबन्द हो जाना। इसके बग़ैर इस्लाम कामिल नहीं हो सकता और बग़ैर इस्लाम के ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगरचे यह सही है कि बग़ैर दाढ़ी के भी आदमी मुसलमान रह सकता है, काफ़िर नहीं हो जाता, लेकिन यह इस्लाम नाक़िस है, ऐसे इस्लाम पर मुकम्मल कामियाबी का वायदा नहीं। अगर मुकम्मल कामियाबी चाहिए तो नफ़्स की ख़्वाहिश को छोड़कर और माहौल से बेनियाज़ होकर मुकम्मल दीन पर आना होगा। इसलिए इस्लाम में नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह की बड़ी अहमियत है, हलांकि इनके बगैर भी आदमी मुसलमान रह सकता है और ज़िना, चोरी, बदकारी, बदगुमानी, शराबख़ोरी वग़ैरह से बचना भी बहुत ज़रूरी है, इसके बावजूद कि इन गुनाहों का करने वाला भी मुसलमान रह सकता है। यह सब इसी लिए है ताकि आदमी कामिल मुसलमान हो और कामिल कामियाबी हासिल करे। इसी तरह दाढ़ी को समझना चाहिए।

दाढ़ी मुंडाने और कतराने वाले बार-बार यह अमल करते हैं, उसके गुनाहे कबीरा होने में कोई शक नहीं। कभी आदमी यह सोचता है कि बड़ी उम्र के होकर दाढ़ी रख लेंगे, लेकिन किसे मालूम है कि वह बड़ी उम्र तक पहुंचेगा, यह भी शैतानी धोखा है और बहुत से लोग बड़ी उम्र होकर भी दाढ़ी नहीं रखते, इसलिए कि बराबर दाढ़ी मूंडते या कटवाते रहने की वजह से उस गुनाह की कराहियत दिल से ख़त्म हो जाती है, इसलिए अख़ीर में भी तौफ़ीक़ नहीं मिलती।

हां यह ज़रूर है कि ग़लत माहौल में रहने की वजह से आदमी के लिए शरीअत पर अमल करना मुश्किल मालूम होता है और ख़ासतौर से दाढ़ी रखना भी। इसका हल यह है कि एक ख़ासी मुद्दत के लिए आदमी ग़लत माहौल छोड़कर सालेह माहौल हासिल कर ले। किसी ख़ानक़ाह में किसी शेख़े कामिल की सोहबत में चला जाए या आजकल की चलती-फिरती ख़ानक़ाह तब्लीग़ी जमाअत में चार माह के लिए चला जाए, इनशाअल्लाह उसको दाढ़ी रखने की तौफ़ीक़ हासिल हो जाएगी और बाक़ी शरीअत पर अमल करना भी आसान होगा और फिर आकर मक़ामी दावत के काम में लगा रहे। इनशाअल्लाह उसको इस्तिक़ामत हासिल होगी। यह बड़े तजुर्बे का नुस्ख़ा है जो बहुत-से लोगों में कामियाब देखा गया।

इसका राज़ यह है कि ग़लत माहौल में मोमिन का ईमान कमज़ोर हो जाता है, इसलिए नफ़्स हीले बहाने तलाश करता रहता है। नेक माहौल में

जब ईमान में तरक़्क़ी होती है तो फिर ख़ुदा का खौफ़ ग़ालिब आ जाता है, लोगों का ख़ौफ़ नहीं रहता, इसलिए आदमी को हिम्मत हो जाती है और शरीअत पर अमलपैरा हो जाता है, इसी लिए देखा जाता है कि जो लोग सालेह माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए शरीअत पर अमल करना आसान हो जाता है, जबकि दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर पाते।

आज कौन सी जगह है जहां दाढ़ी वाले और दीनदार लोग नहीं हैं। युनिवर्सिटी, कालेज, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, तिजारत हर जगह आपको दीनदार दाढ़ी वाले मिलेंगे। ये क्यों नहीं उस माहौल से मुतास्सिर होते? बात असल में वही है जो कही गई, इसलिए जरूरी है कि सालेह माहौल से अपने को मुताल्लिक़ किया जाए। किसी शेख़ से अपना ताल्लुक़ भी क़ायम किया जाए और दावत के अमल से अपने को मुन्सलिक भी किया जाए जो कुरूने ऊला का तरीक़ा है, फिर इनशाअल्लाह दाढ़ी रखने की भी तौफ़ीक़ मिलेगी और पूरी शरीअत पर अमल करने की भी। जो चाहे इस नुस्ख़े पर अमल करके देख ले।

कल क़ियमत के दिन जबकि रब्बे जुल जलाल की अदालत क़ायम होगी, हमारे नफ़्स के सारे हीले धरे रह जाएंगे और माहौल और सोसाइटी का बहाना काम नहीं आएगा। मीज़ाने अमल से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीअत की पैरवी और सुन्नत ही काम आएंगे। उस वक़्त के आने से पहले हम अपनी ज़िंदगी शरीअत व सुन्नत के मुताबिक़ कर लें, यही दानिशमंदी है।

वमा तौफ़ीक़ी इल्लाबिल्लाह अलैहि तवक्कल्तु व हु-व रब्बुल अर्शिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व सह्बिही व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन वल हम्दु लिल्लाहि अव्वलन व आखिरा०

परिशिष्ट

मूंछ का काटना

दाढ़ी के मसले पर बहस के दौरान हदीसों में भी और उलेमा के कलाम में भी मूंछ का तज़्करा आया, इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि उसके बारे में भी थोड़ा-सा लिख दिया जाए। इस मसले में भी मुसलमानों में कोताही देखी जाती है।

हदीस के लफ़्ज़- मूंछ के बारे में कई हदीसों में ये लफ़्ज़ आए हैं—

अहफ़ू, अन्हिकू, जुज़्ज़ू, क़स्सुश-शारिब

इह्फ़ा (अहफ़ू) का मतलब होता है पूरा ले लेना।

नहक (अन्हिकू) का मतलब होता है, किसी चीज़ के ख़त्म करने में मुबालग़ा (अतिशयोक्ति) करना, और जज़ (जुज़्ज़ू) का मतलब होता है, बाल या ऊन को जिल्द तक काटना,

ये तमाम लफ़्ज़ यह बताते हैं कि दूर करने में मुबालग़ा करना मक़्सद है।

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 347

रहा 'क़स्स' लफ़्ज़ तो इसके कई मानी हैं—

एक मानी हैं किसी चीज़ को (विशेष यंत्र) से काटना। (फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 335) इसमें मुबालग़ा की कोई क़ैद नहीं, आम है। अब ज़ाहिर है कि दूसरी हदीसों में जब मुबालग़ा बताने वाले लफ़्ज़ हैं, तो इससे भी मुराद वही मुबालग़े वाला मानी लेना चाहिए।

इमाम बुख़ारी ने बाब 'क़स्सुश्शारिब' में फ़ितरत वाली हदीसें ज़िक्र कीं जिसमें 'क़स्सुश्शारिब' का लफ़्ज़ है। लेकिन 'तर्जमतुल बाब' में इब्ने उमर का फ़ेल ज़िक्र किया—

यानी इब्ने उमर रज़ि० अपनी मूंछ को मुबालग़े से काटते, यहां तक कि जिल्द की सफ़ेदी नज़र आती और दोनों तरफ़ मूंछ और दाढ़ी के दर्मियान के बाल भी काटते थे। इससे इमाम बुख़ारी रह० ने शायद इसी तरफ़ इशारा किया कि हदीस से मुराद इह्फ़ा है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने लिखा है–

तो आपका इशारा उसी से था कि हदीस से मुराद 'एहफ़ा' है।

चौथा एक लब्ज़ अख़्ज़ का आया है। (नसई, पृ० 7) यह भी क़स्स की तरह आया है। पांचवां एक लफ़्ज हल्क़ का भी नसई के कुछ नुस्ख़ों (प्रतियों) में आया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर की राय यह है कि यह लफ़्ज़ महफ़ूज़ है। दलील यह दी है 'कि जज्ज़, एहफ़ा, इनहाक' के लफ़्ज़ जो दूसरी हदीसों में आए हैं, ये मुबालग़ा पर दलील जुटाते है। (फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 349) तो इसी को रिवायत करने वालो ने 'हलक़' से ताबीर कर दिया होगा, क्यों कि इहफ़ा जो मुबालग़ा के साथ होता है, हलक़ ही की तरह मालूम होता है। दोनों बहुत मिलते-जुलते हैं।

हलक़ के बारे में हमारे फ़ुक़हा की राएं अलग-अलग हैं। किसी ने बिदअत कहा। (शामी भाग 5, पृ० 288, बाबुल ख़तर वल हबाहा) लेकिन तहावी ने इसीको सुन्नत कहा।

(फ़त्हुल बारी, भाग 10, पृ० 347, बाब क़स्सुश्शारिब व शामी अनिल मुंतक़ी वल मुज्तबा, भाग 5, पृ० 288)

इमाम तहावी ने शरह मआनिल आसार में बहुत उम्दा बहस की है और बताया है कि एक जमाअत मदीना वालों की इस तरफ़ गई है कि क़स्स (कटवाना) इहफ़ा (पूरा ले लेना) से अफ़ज़ल है। इस जमाअत ने लफ़्ज़ क़स्स से दलील ली और उन हदीसों से भी, जिनमें यह आया है कि आंहज़रत ﷺ ने कुछ सहाबा की मूंछ मिस्वाक रख कर कटवा दी। ऐनी ने बताया कि इस क़ौल के क़ायल इमाम मालिक और कुछ ताबईन हैं।

तहावी ने कहा, दूसरी जमाअत कहती है कि इहफ़ा यानी 'मुबालग़े से काटना' क़स्स से अफ़ज़ल है। ऐनी ने बताया कि इसके क़ायल जमहूर सलफ़ हैं, उन्हीं में कूफ़ा वाले भी हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन का क़ौल है। तहावी ने भी आख़िर में आदत के मुताबिक़ इमाम आज़म और साहिबैन का नाम लिया है कि ये लोग एहफ़ा को अफ़ज़ल मानते हैं।

ये दलीलें उन हदीसों से लेते हैं जिनमें जज़्ज़ और एहफ़ा के लफ़्ज़ आए हैं जो मुबालग़ा की दलील हैं। तहावी ने पहली जमाअत की दलीलों का जवाब देते हुए फ़रमाया कि हो सकता है कि कुछ सहाबा की मूंछ हज़रत ﷺ ने सिर्फ़ मिस्वाक रख कर कटवा दी, इस लिए कि क़ैंची नहीं थी कि एहफ़ा करते और हदीसे फ़ितरत में क़स्स इसलिए फ़रमाया गया कि फ़ितरत जो ज़रूरी है, वह

क़स्स है और इससे जो ज़्यादा है, वह फ़ज़ीलत है और बेहतर है, इस तरह सारे आसार जमा हो जाते हैं और आपस में उनमें कोई टकराव नहीं रहता और एहफ़ा का क़स्स से अफ़ज़ल होना साबित हो जाता है।

फिर तहावी ने अपनी नज़ीर पेश की कि हज में हलक़ अफ़ज़ल है तक़सीर से । इस पर नज़र का तक़ाज़ा है कि क़स्स भी अच्छा है, लेकिन एहफ़ा ज़्यादा अच्छा और अफ़ज़ल है, इसलिए कि इसमें ज़्यादती है, इसलिए अज्र ज़्यादा है।

—शारह मआनिल आसार, भाग 1 पृ० 308 मुलतानी

इमाम तहावी की इस नज़ीर से शायद कुछ लोगों को शुबहा हुआ और उन की तरफ़ हलक़ के सुन्नत होने की निस्बत कर दी। वरना तहावी ने एहफ़ा को अफ़ज़ल कहा है, न कि हलक़ को, चूंकि हलक़ और एहफ़ा दोनों बहुत मिलते-जुलते हैं, इसलिए ऐसा होना कुछ नामुम्किन नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने भी यह लिख दिया कि तहावी ने हलक़ को क़स्स पर अफ़ज़ल कहा, इसलिए कि हज व उमरा में हज को तक़्सीर पर फ़ज़ीलत है। —फ़त्हुल बारी, भाग 10, पृ० 348

हालांकि आप देख रहे हैं कि तहावी ने शारिब में एहफ़ा को तर्जीह दी है, न कि हलक़ को, लेकिन बात वही है जो हमने अर्ज़ की है। इसीसे नसई की रिवायत का भी हल निकल आया कि मुबालग़े के लफ़्ज़ देख कर किसी रावी ने हलक़ से ताबीर कर दिया और वह मुहम्मद बिन अब्द बिन यज़ीद हैं, जो इब्ने उऐना से हलक़ को नक़ल करते हैं, वरना इब्ने उऐना के तमाम शागिर्दों ने लफ़्ज़ क़स्स ज़िक्र किया। —फ़त्हुल बारी, भाग 10, पृ 346

कलाम का ख़ुलासा : हासिल यह है कि इतना काटा जाए कि ऊपर के होंठ की सुर्ख़ी ज़ाहिर हो जाए, यह भी जायज़ है और इससे नफ़्से फ़ितरत अदा हो जाती है जो ज़रूरी है। लेकिन मुबालग़े से काटना कि जिल्द ज़ाहिर हो जाए, यह औला और अफ़ज़ल है और जो रिवायतें अम्र (हुक्म) में हैं, उनका मक़्सद यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

इमाम तहावी ने इसी एहफ़ा को इब्ने उमर रज़ि०, अबू हुरैरह ﷺ, अबू सईद ख़ुदरी ﷺ, अबू उसैद साइदी ﷺ, राफ़े बिन ख़दीज रज़ि०, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि०, अनस बिन मालिक रज़ि०, सलमा बिल अकवअ़ रज़ि०, सह्ल बिन साद रज़ि० से नक़ल किया है और फ़रमाया कि इनमें वे सहाबा भी हैं, जिनसे क़स्से शारिब के लफ़्ज़ रिवायत किए गए हैं।

—शरह मआनिल आसार, भाग 2, पृ० 307-308

इमाम तहावी ने यह भी फ़रमाया कि इमाम शाफ़ई रह० के शार्गिद मुज़नी, रबीअ वग़ैरह भी एहफ़ा करते थे, शायद इन लोगों ने इसको इमाम शाफ़ई रह० से लिया है। —फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 347

इमाम अहमद बिन हंबल भी सख़्त एहफ़ा करते थे और साफ़-साफ़ फ़रमाया कि यह क़स्स से अफ़ज़ल है। —फ़त्ह, वही

फ़ैज़ुलबारी में है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० के शार्गिद इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह० भी एहफ़ा करते थे। (भाग 4, पृ० 378) ज़ाहिर है कि जब उनका मस्लक ही यह था तो यक़ीनन इसी अफ़ज़ल पर अमल करते रहे होंगे, हमको भी यही करना चाहिए।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इब्नुल अरबी से मोंछ काटने पर एक लतीफ़ वजह नक़ल की है, वह यह है कि नाक से निकलने वाला पानी अपनी चिकनाहट की वजह से बालों से लग जाता है। और धुलने के वक़्त उसको साफ़ करना मुश्किल होता है और यह माद्दा क़ुवते शाम्मा (नाक) के क़रीब होता है, इसलिए काटना ज़रूरी है ताकि अच्छा भी लगे और फ़ायदा भी हो।

हाफ़िज कहते हैं कि यह फ़ायदा कम करने से हासिल हो जाता है । एहफ़ा ज़रूरी नहीं, अगरचे एहफ़ा से ज़्यादा बेहतर है।(फ़त्हुल बारी, भाग 10, पृ० 348) इसलिए एहफ़ा अफ़ज़ल है कि पूरा फ़ायदा होगा। फ़लिल्लाहि दर्रुश-शरीअति-लमुतह्हरा।

मसला— मूंछ दाएं तरफ़ से काटने की शुरूआत करना मुस्तहब है। (दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 45) यही शरीअत का आम ज़ाबता है, जो कंघी करने, वज़ू करने, और जूते-चप्पल पहनने और पांवों के नाख़ून काटने में जारी है, इसे सब मानते हैं। हाथ के नाख़ून काटने की जो तर्तीब इमाम ग़ज़ाली ने ज़िक्र की है, उसका कोई सबूत नहीं। माज़री, इब्ने दक़ीक़ अल ईद और कई उलेमा ने इस पर नकीर की है और हदीस के माहिरों ने लिखा है कि इस का कोई सबूत नहीं।

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ 345, मक़ासिदे हसना, पृ० 489 वग़ैरह

इमाम नववी रह० ने भी एक तर्तीब मुस्तहब बताई है और इमाम नववी ने जो तर्तीब बताई है , वह इमाम ग़ज़ाली की तर्तीब से अलग है, इनमें से किसी को सुन्नत समझना जिहालत है, जिसमें बहुत से लोग मुब्तला हैं वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हु-व यह्दिस्सबील०

सर के बालों की हदीसें और मसले

मुनासिब मालूम हुआ कि जब दाढ़ी और मोंछ के मुताल्लिक़ हदीसें और ज़रूरी मसले बयान हो गए तो अब सर के बालों की कुछ हदीसें और मसले भी ज़िक्र कर दिए जाएं कि इसमें भी हफ़रात-तफ़रीत (कमी-ज़्यादती में मुबालग़ा) देखी जाती है। इसमें भी सुन्नत तरीक़े पर अमल करना चाहिए और शरीअत ने जिन तरीक़ों से मना किया है, उससे बचना चाहिए। ख़त्ताबी वग़ैरह ने लिखा है कि अरबों की आदत बालों के बढ़ाने और उससे ज़ीनत पैदा करने की थी, उनमें बाल मुंडवाना बहुत कम था। कभी-कभी उसको शोहरत और अजमियों का तरीक़ा समझते थे। इसलिए (हज के मौक़े पर) सहाबा किराम को हलक़ (मुंडवाना) करना मुश्किल मालूम होता था, तो क़स्र को ही काफ़ी समझ लिया।

—फ़त्हुल बारी, भाग 3, पृ० 564

और नबी ﷺ ने हलक़ को इसलिए फ़ज़ीलत दी कि इसमें इबादत ज़्यादा है और शारई हुक्म के सामने पूरे तौर पर झुक जाना और उसको सच्चे दिल से मान लेना चाहिए और क़स्र कराने वाला अपने ऊपर ज़ीनत की चीज़ कुछ बाक़ी रखता है। हलक़ कराने वाला अल्लाह के लिए बिल्कुल उसे तर्क कर देता है। (वही) इसलिए इसमें सवाब ज़्यादा है।

नबी करीम ﷺ (जिनकी ज़ात मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है) का तरीक़ा यह था कि आप हमेशा बड़े बाल रखते थे, मुंडवाते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार मुंडवाना साबित है—हुदैबिया के मौक़े पर सन् 06 हि० में और दूसरे हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर सन् 10 हि० में। (हुदैबिया के मौक़े पर आपके बाल हज़रत ख़राश बिन अमैया ने मूंडे थे और हज्जतुल विदाअ में मामर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० ने) —फ़त्हुल बारी, भाग1, पृ० 274, भाग 3, पृ० 564

आपके बालों की मिक़्दार

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत ﷺ के बाल आधे कान तक थे।

—शिमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 2

हज़रत अनस रज़ि० की दूसरी रिवायत में है कि आपके बाल न बिल्कुल सीधे थे, न बिल्कुल पेचदार, बल्कि दर्मियानी कैफ़ियत के थे और कानों और कंधों के दर्मियान थे और तीसरी रिवायत में है कि आपके बाल कंधों को लग

रहे थे। —बुख़ारी शरीफ़, भाग 2, पृ० 876

और तीसरी रिवायत में है कि मूंढे को छू रहे थे,

—तिर्मिज़ी शरीफ़ भाग 2, पृ०205

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि आप ﷺ के बाल हुज्जा से ऊपर और वफ़रा से नीचे थे, यानी कान और कंधे के दर्मियान थे।

—तिर्मिज़ी, भाग 1, पृ० 305

हिन्द अबी हाला की रिवायत में है कि आप ﷺ जब अपने बालों को बढ़ाते, तो दोनों कानों की लौ से आगे बढ़ जाते। —शिमाइले तिर्मिज़ी, पृ०2

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० फ़रमाते हैं कि रिवायतों का हासिल यह है कि लम्बे बाल कंधे तक पहुंच जाते और जो लम्बे न होते, वे कान की लौ तक होते। —फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ०358

मुल्ला अली क़ारी शरह शिमाइल में हज़रत अनस ﷺ की हदीस (कि आपके बाल आधे कान तक होते) की शरह में लिखते हैं, कहा गया है कि आप ﷺ के अक्सर बाल या कुछ हालतों में और जबकि बालों में मांग न निकालते, उस वक्त आधे कान तक होते, इसलिए यह उन हदीसों के ख़िलाफ़ नहीं है, जिनमें यह आया है कि आपके बाल कंधे तक पहुंचे हुए और कंधे पर पड़े हुए होते थे। —जमउल वसाइल, शरहे शिमाइल, भाग 1 पृ० 74

हासिल यह है कि बाल जब बड़े हो जाते तो आधे कान तक कटवा देते, इसलिए कि सर और गरदन के दर्मियान जो जोड़ हैं, वहां तक सर की हद है, इसलिए सर को छोड़कर जो बाल गरदन पर होते, उनको कटवा देते, इस सूरत में आधे कान तक हो जाते, फिर बढ़ कर कान की लौ तक आते, फिर बढ़ कर कान और गरदन के दर्मियान में हो जाते, फिर बढ़ कर कंधे तक पहुंच जाते। इस तरह इन रिवायतों में कोई टकराव नहीं, सब बातें सही हैं। कंधे तक बाल रखना बुख़ारी शरीफ़ की सही रिवायत से साबित है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० लिखते हैं कि कंधे के क़रीब तक होना अक्सर हाल में था, कभी उससे भी ज़्यादा हो जाते, यहां तक कि गेसू बन जाते और उसको आप इकट्ठा करके जमा भी कर लेते, जैसाकि अबूदाऊद और तिर्मिज़ी ने सनदे हसन से उम्मे हानी की यह रिवायत ज़िक्र की है कि हज़रत ﷺ जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तो आपके चार चोटियां थीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० लिखते हैं कि यह सफ़र की हालत में हुआ था, जबकि बालों की देख-भाल किए और उनको दुरुस्त किए ज़्यादा वक़्त गुज़र गया था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

अबूदाऊद, नसई और इब्ने माजा की सही हदीस में है कि वाइल बिन हजर रज़ि० फ़रमाते हैं कि मै हज़रत ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मेरे लम्बे बाल थे, हज़रत ﷺ ने फ़रमाया, ज़ुबाब! ज़ुबाब! (यानी यह बुरा है, बुरा है) मैं वापस गया और उनको काट कर छोटा कर दिया, फिर कल को आया तो हज़रत ने फ़रमाया, मैंने तुमको नहीं मुराद लिया था और यह अच्छा है।

—फ़त्हुल बारी, भाग 10, पृ० 360, अबू दाऊद, पृ० 576,

इससे मालूम हुआ कि बहुत लम्बे बाल रखना अगरचे जायज़ है, लेकिन अच्छा नहीं। —बज़्लुल मज्हूद, भाग 6, पृ० 77

यही मतलब इस हदीस का होगा जिसमें यह है कि हज़रत ﷺ ने फ़रमाया कि ख़ुरैम असदी अच्छे आदमी हैं, अगर उनका बाल लम्बा और इज़ार टख़ने से नीचे न होता। हज़रत ख़ुरैम रज़ि० को जब यह बात मालूम हुई तो छुरी लेकर अपने बाल को कान तक काट लिया और लुंगी को आधी पिंडुली तक कर लिया। —अबू दाऊद व मिश्कात, पृ० 382

उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस की तोज़ीह व तौजीह हज़रत शेख मुहम्मद ज़करिया ने इस तरह की है। मर्दों के लिए औरतों की तरह से मेंढियां मकरूह हैं। इस हदीस में मेंढियों से वही मुराद ली जाएं, जिसमें तशब्बोह न हो कि तशब्बोह से हुज़ूर ﷺ ने ख़ुद ही मना फ़रमाया है।

—ख़साइले नबवी, पृ० 26

इसलिए 'अरबओ ज़फ़ाइर' या 'ग़ुदाइर' के जो लफ़्ज़ इस हदीस में आए हैं इस का मतलब यह है कि दोनों तरफ़ बाल के दो हिस्से करके उनको आपस में मिला कर गोल कर लिया, न यह कि कुछ को कुछ में दाख़िल करके औरतों की तरह चोटी बना ली। —दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 94

यह शरीअत का बहुत बड़ा उसूल है कि मर्दों को औरतों की मुशाबहत नहीं अख़्तियार करनी चाहिए। हदीस में आया है कि ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत अख़्तियार करें, ख़ुदा की लानत है। —बुख़ारी शरीफ़, भाग 2, पृ० 874

हज़रत गंगोही रह० ने लिखा है, सर के बाल जहां तक चाहे बढ़ा ले, दुरुस्त है, मगर कुछ सर का मुंडाना और कुछ का रखना यहूद की मुशाबहत

है, यह मकरूह है और तमाम सर के बाल बढ़ाना न यह काकुल है और न यह मना है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। काकुल (यानी कुछ का मुंडाना और कुछ का छोड़ देना) यहूदियों का काम है और मना है और बाल बढ़ाना जो सुन्नत से साबित है, वह मना नहीं है, उसको काकुल कहना आज की इस्तिलाह है और औरतों की मुशाबहत जब होगी कि औरतों की तरह चोटी गूंधे, वरना कोई मुशाबहत नहीं, न कराहत है। फ़क़त वल्लाहु तआला आलम

—फ़तावा रशीदिया 484

डॉ० मुहम्मद अब्दुल हई मद्द ज़िल्लहु ख़लीफ़ा मजाज़ हज़रत हकीमुल उम्मत, उस्वा-ए-रसूले अकरम ﷺ में तहरीर फ़रमाते हैं, हुज़ूरे अक़्दस ﷺ के सर मुबारक के बालों की लम्बाई कानों के दर्मियान तक और दूसरी रिवायतों में कानों तक और एक तीसरी रिवायत में कानों की लौ तक थी, इनके अलावा कंधों तक या कंधों के क़रीब तक की रिवायतें भी हैं। —शिमाइले तिर्मिज़ी

इन सब रिवायतों में आपसी मेल इस तरह है कि आप कभी तेल लगाते या कंघी फ़रमाते तो बाल लम्बे हो जाते, वरना इसके ख़िलाफ़ रहते या फिर तरशवाने से पहले और बाद में उनमें छोटा-बड़ा होता रहता था।'

मवाहिबे लुद निया और उसके मुवाफ़िक़ मज्मउल बिहार में यह ज़िक्र किया गया है कि जब बालों को तरशवाने में लम्बा वक़्फ़ा हो जाता तो बाल लम्बे हो जाते और जब तरशवाते तो छोटे हो जाते थे।

इस इबारत से यह भी मालूम हुआ कि हुज़ूर ﷺ बालों को तरशवाते थे, मुंडवाते न थे, लेकिन (मुंडवाने) के बारे में खुद फ़रमाते हैं कि आपने हज व उमरा के दोनों मौक़ों के सिवा बाल नहीं मुंडवाए।

—मदारिजुन्नुबूवत, उस्वा रसूले अकरम, पृ० 152

बालों का हल्क़—हज व उमरा के अलावा आम हालात में भी सर को मुंडाना जायज़ है, अगरचे नबी ﷺ की पैरवी में बाल रखना सुन्नत और अफ़ज़ल है, लेकिन मुंडाने में भी कोई कराहत नहीं, इसलिए नबी ﷺ की यह सुन्नत ज़ायद सुन्नतों में से है। आदत के तौर पर आप बाल रखते थे न कि इबादत के तौर पर, इसलिए इसके छोड़ने में कोई कराहत नहीं।'

—फ़ताया इमदादिया, भाग 4, पृ० 228

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि आंहज़रत ﷺ ने औरतों को सर मुंडाने से मना फ़रमाया (मिश्कात, पृ० 384) इसकी शरह में मुल्ला अली क़ारी

लिखते हैं कि इस हदीस से मफ़हूमे मुख़ालिफ़ के तरीक़े पर यह मालूम हुआ कि मर्दों के लिए हल्क़ जायज़ है और इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, हां, इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या हल्क़ सुन्नत है? इसलिए कि हज़रत अली ﷺ ने ऐसा किया और हुज़ूर ﷺ ने इसकी तक़रीर फ़रमाई, फ़रमाया, तुम मेरी और मेरे ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ो, यह हलक़ सुन्नत नहीं है, इसलिए कि आंहज़रत ﷺ तमाम बाक़ी सहाबा के साथ बाल नहीं मुंडवाते थे, सिवाए हज और उमरा से फ़राग़त के वक़्त के, इसलिए रुख़्सत है और यही ज़्यादा ज़ाहिर है —मिरक़ात

हज़रत ﷺ ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ि० की शहादत के बाद उनके बच्चों के बाल मुंडवाए थे। (अबूदाऊद, भाग 1, पृ० 577) इस हदीस से हलक़ का जायज़ होना भी मालूम हुआ और यह भी कि बच्चों के भी बड़े बाल हो सकते हैं।[1]

पूरे सर के हल्क़ की तरह पूरे सर के बाल को कटाना और छोटा कराना भी जायज़ है, बशर्ते कि सब बराबर हों। इसकी दलील क़ुरआन की आयत में 'व मुक़स्सिरीन' का लफ़्ज़ है, लेकिन सब कतरवाना और आगे की तरफ़ किसी क़दर बड़े रखना जो कि आजकल का फ़ैशन है, जायज़ नहीं।

—बहिश्ती ज़ेवर, भाग 11, पृ० 967, बालों से मुताल्लिक़ अहकाम

क़ज़अ़ से मना किया गया— यह शक्ल मना है कि सर का कुछ हिस्सा मुंडा दिया जाए और कुछ बाक़ी रखा जाए। सहीह हदीस में इससे मना किया गया है। इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि एक बच्चा लाया गया, जिसका सर कुछ मुंडा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। आप ﷺ ने फ़रमाया तो कुल मूंड दो या कुल छोड़ दो। —मुस्लिम व मिश्कात, पृ० 380

बालों में तेल डालना, कंघी करना और मांग निकालना

जब सुन्नत तरीक़े पर बड़े बाल रखेंगे तो उसमें तमाम सुन्नत तरीक़ों का लिहाज़ रखना होगा, वे यह हैं—

हज़रत ﷺ ज़्यादा से ज़्यादा सर पर तेल डालते और दाढ़ी में कंघी करते

1. हज़रत जाफ़र रज़ि० के बच्चों के बाल, बावजूद यह कि बाल रखना अफ़ज़ल है, इसलिए मुंडवाए थे कि उनकी मां शौहर की शहादत के ग़म की वजह से उनके बालों की सफ़ाई और कंघी नहीं कर सकेंगी तो मैल-कुचेल और जुओं से बचाने के लिए यह शफ़क़त फ़रमाई। —मिरक़ात

थे और क़िनाअ इस्तेमाल फ़रमाते। (यानी सर पर कपड़ा रखते और उसमें तेल लग जाया करता था। जिसकी वजह से) आपका कपड़ा ऐसा मालूम होता था कि गोया तेली का कपड़ा है) —यह शईस्सुन्नः की रिवायत है, मिश्कात पृ० 381

और आप ﷺ फ़रमाते थे कि जिसके बाल हों, उसको चाहिए कि उसका इकराम करे। (अबूदाऊद, पृ० 573) यानी उसको धोए और उसमें तेल डाले और कंघी करे (बज़्लुल मज्हूद, भाग 6, पृ० 71) ये रिवायतें हसन हैं।

—फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 368

एक बार हज़रत ﷺ ने एक आदमी को देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे, तो फ़रमाया, क्या उसको ऐसी चीज़ (तेल वग़ैरह) नहीं मिलती, जिससे यह बालों को जमा करे। यह अहमद नसई की रिवायत है।

—मिश्कात पृ० 375

अता बिन यसार रह० की रिवायत में है कि हज़रत ﷺ मस्जिद में थे। एक साहिब आए, जिनके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। आपने इशारे से उनको बालों की इस्लाह का हुक्म दिया। उन्होंने ठीक किया और फिर आए। आप ﷺ ने फ़रमाया, क्या यह इससे बेहतर नहीं है कि तुममें से कोई इस तरह आए कि उसके बाल बिखरे हुए हों, गोया कि शैतान है। (यह मालिक की रिवायत है, मिश्कात, पृ० 384) इस मुर्सल की सनद सहीह है और इसकी ताईद हज़रत जाबिर रज़ि० की रिवायत से होती है जो अबू दाऊद और नसई में सनद हसन से रिवायत की गई है। —फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 367

इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत में है कि आंहज़रत ﷺ को जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई हुक्म नहीं मिलता, अहले किताब (यहूद व नसारा) की मुवाफ़क़त को पसन्द करते थे, चुनांचे अहले किताब मांग नहीं निकालते और मुश्रिकीन मांग निकालते थे, तो हज़रत ﷺ भी शुरू में मांग नहीं निकालते थे, फिर बाद में मांग निकाली।

—बुख़ारी भाग 1, पृ० 502 व भाग 1, पृ० 877 व शिमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 3

इसलिए मांग निकाला सुन्नत हुआ। —बज़्ल, भाग 6, पृ० 76

हज़रत आइशा रज़ि० आप ﷺ के बालों में कंघी किया करती थीं और इस तरह मांग निकालतीं कि सर के दर्मियान से बालों को दो हिस्सों में कर देतीं और पेशानी के बालों को आंखों के दोनों तरफ़ कर देतीं।

—अबूदाऊद, पृ० 576

अबूक़तादा ﷺ ने हज़रत ﷺ से अर्ज़ किया, मेरे बड़े बाल हैं, क्या मैं उनमें कंघी करूं? आप ﷺ ने फ़रमाया, हां और उसका इकराम करो। चुनांचे हज़रत क़तादा ﷺ भी दिन में दो बार तेल डालते (यानी तेल डाल कर कंघी करते) हज़रत ﷺ के इकराम का हुक्म देने की वजह से। (इसको मालिक ने रिवायत किया।) —मिश्कात, पृ० 384

नसई में है कि अबूक़तादा के बड़े बाल थे। उन्होंने आंहज़रत ﷺ से (उसके बारे में) पूछा, तो आपने फ़रमाया कि उसके साथ एहसान करो और रोज़ाना कंघी करो। —नसई, भाग 1, पृ० 291

इससे रोज़ाना कंघी करना मालूम हुआ, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत ﷺ ने रोज़ाना कंघी करने से मना फ़रमाया है। —तिर्तिज़ी, भाग 1, पृ० 305, शिमाइल, तिर्मिज़ी पृ० 4

और तिर्मिज़ी ने बताया कि यह हदीस हसन सहीह है, तो यह कहा जाएगा, जैसाकि हाफिज़ इब्ने हजर रह० ने फ़रमाया कि इससे मक़्सद यह है कि बहुत ज़्यादा ज़ीनत का एहतिमाम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दूसरी सहीह हदीस में अबू उमामा रज़ि० से रिवायत है कि आप ﷺ ने फ़रमाया कि सादगी ईमान से है। यह अबू दाऊद की रिवायत है और नसई ने उबैद से रिवायत किया है कि आप ﷺ बहुत ज़्यादा ज़ीनत करने से मना करते थे। —फ़त्हुलबारी, भाग 10, पृ० 368

इसलिए उलेमा-ए-किराम ने फ़रमाया कि बाल बिखर जाते हों तो रोज़ाना भी कंघी कर सकते हैं। अगर न बिखरते हों तो नाग़ा से करें। —ख़साइले नबवी, पृ० 28

मसला— कंघी करने में मांग पहले दाहिनी तरफ़ की निकालें, फिर बाईं तरफ़ की। हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि आंहज़रत ﷺ इसको पसन्द फ़रमाते थे। (शिमाइल, पृ० 4) इसलिए यह तरीक़ा सुन्नत है। यही तरीक़ा औरतों के लिए भी सुन्नत है। नाक के सामने से मांग निकालना चाहिए, आजकल दाएं-बाएं से मांग निकालने का तरीक़ा रिवाज में है, वह इस्लामी नहीं। —दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 94

मसला— गुद्दी के बाल लेना मना है। फ़ुक़हा ने मना किया है। —सफ़ाई-मामलात हज़रत थानवी, दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 97

आधे कान तक सर है, उसके नीचे गरदन। गरदन के बाल काटे जा सकते

हैं, इससे ऊपर सर के बाल नहीं। इसलिए गुद्दी के बाल लेना मकरूह है।

आंहज़रत ﷺ से आधे कान तक बाल कटाने के सिवा सर के किसी और तरफ़ से बाल कटाने का कोई सबूत नहीं, इसलिए किसी तरफ़ से बाल नहीं कटाना नहीं चाहिए, न कानों की तरफ़ से, न पेशानी की तरफ़ से। आजकल अंग्रेज़ी तरीक़े के तरह-तरह के फ़ैशन वाले बाल लोग कटाया करते हैं। ये सब इस्लामी तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए।

—दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, पृ० 98

एक हदीस में हहज़रत ﷺ ने फ़रमाया है जो ग़ैरों से मुशाबहत अख़्तियार करे, वह हम में से नहीं। यहूद व नसारा (यहूदी और ईसाई) की मुशाबहत मत अख़ितयार करो। यहूद उंगलियों के इशारे से सलाम करते थे और नसारा हथेली से और पेशानी के बाल मत कटाओ। मूंछ को मुबालग़े से काटो और दाढ़ी के बाल बढ़ाओ और मस्जिदों और बाज़ार में इस तरह कुरता पहन कर म चलो कि नीचे लुंगी (या पाजामा) न हो।

—तबरानी ने इसको रिवायत किया है, तर्ग़ीब व तर्हीब, भाग 3, पृ० 435

ग़ैरों की मुशाबहत से बचना शरीअत का बहुत बड़ा उसूल है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। एक हदीस में इर्शाद है, जो जिस क़ौम से मुशाबहत अख़्तियार करता है, वह उसी क़ौम से है। मन त-शाब्ब-ह बिक़ौमिन फ़-हु-व मिन हुम०

—अबू दाऊद, पृ० 558

इसलिए लिबास और हर कांट-छांट में ग़ैरों की मुशाबहत से बचने की पूरी कोशिश होनी चाहिए।

औरतों के सर के बाल—इमाम मुस्लिम और तिर्मिज़ी वग़ैरह ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० से रिवायत ज़िक्र की है कि उन्होंने आंहज़त ﷺ से पूछा कि मैं अपने सर के बाल की चोटी मज़बूत बनाती हूं, क्या नापाकी के गुस्ल के लिए उसका खोलना ज़रूरी है। आप ﷺ ने फ़रमाया कि नहीं, सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि तीन बार अपने सिर पर पानी डाल लो, फिर सारे जिस्म पर पानी डाल लो।

—तिर्मिज़ी मअल उर्फ़, पृ० 29

यानी सिर्फ़ बालों की जड़ में पानी पहुंचा लेना काफ़ी है। चोटी ख़ोल कर सारे बालों को धोना ज़रूरी नहीं। यही तमाम अलेमा-ए-किराम के यहां मसला है भी।

फ़ायदा—इससे मालूम हुआ कि हज़रत ﷺ के ज़माने में औरतें बड़े बाल रखती थीं और चोटी बनाती थीं। हज़रत आइशा रज़ि० का वाक़िया भी बुख़ारी शरीफ़ में पृ० 45 वग़ैरह पर ज़िक्र किया गया है। इसमें एहराम के वक़्त बालों के खोलने का हुक्म है, जिस से मालूम हुआ कि चोटी बनाए हुए थीं और दूसरे वाक़ियों से भी यह मालूम होता है, इससे औरतों के बाल का हुक्म मालूम हो गया कि बड़े बाल रख कर चोटी बनानी चाहिए।

औरतों को सर मुंडवाने से मना किया गया है। (नसई व मिश्कात, पृ० 384) इसी तरह हज व उमरा के मौक़े पर भी औरतों के लिए यह मसला है कि थोड़े से बाल कटा दे, मुंडाना जायज़ नहीं, तो अगर कोई औरत बाल कटा कर कंधे और उसके नीचे तक कर दे तो उसको मर्दों से मुशाबहत होगी जो लानत की वजह बनेगी और जायज़ नहीं, इसलिए फ़िक्ह की किताबों में लिखा है कि अगर औरत बाल काटे तो गुनाहगार और लानत की हक़दार होंगी।

—दुर्रे मुख़्तार मय शामी, भाग 5, पृ० 288, आख़िरुल ख़तर वल इबाहा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत ﷺ ने आज़ाद औरत को जम्मा से मना फ़रमाया है।

—मज्मउज़्ज़वाइद, भाग 5, 172

जम्मा उस बाल को कहते हैं जो कंधे या उससे ऊपर हो। आजकल औरतें फ़ैशन के लिए बाल कटवाती हैं, जिससे ग़ैर मुस्लिम औरतों के साथ मुशाबहत होती है और उन्हीं ग़ैर मुस्लिम औरतों को देख कर मुसलमान औरतों में यह तरीक़ा आया भी है, इसलिए यह क़तई तौर पर मना है। हदीस में आया है कि जो जिसके साथ मुशाबहत (मिलता-जुलता तरीक़ा) अख़्तियार करे, वह उन्हीं में से है। —अबू दाऊद, पृ० 559

औरतों के लिए मर्दों की मुशाबहत और ग़ैरों की मुशाबहत दोनों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हदीसों से मालूम हुआ। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उस औरत पर लानत फ़रमाई है जो मर्दों का लिबास पहने और उस मर्द पर भी जो औरतों का लिबास पहने। हज़रत आइशा रज़ि० से पूछा गया कि एक 'औरत (मर्दाना) जूता पहनती है, उसका क्या हुक्म है? तो फ़रमाया कि हुज़ूर ﷺ ने मर्दानी औरत पर लानत फ़रमाई है। —अबू दाऊद, पृ० 566

इसलिए औरत का सर के बाल कटाना, मर्दाना लिबास पहनना, मर्दाना

जूता पहनना और मर्दाना चाल चलना सब मना है।

—दाढ़ी और अंबिया की सन्नतें, पृ० 96

मसला—बूढ़ी बेवा औरतें, जिन को बुढ़ापे की वजह से ज़ीनत की ज़रूरत नहीं रही, अगर वे अपने सिर के बाल कुछ कम करा लें, तो इसकी गुंजाइश है .... हज़रत उम्महातुल मोमिनीन रज़ि० का अमल इसी पर क़ायम है, लेकिन याद रखना चाहिए कि यह इजाज़त सिर्फ़ ऊपर की सूरत में है। आजकल फ़ैशन की वजह से बाल कम कराना क़तई तौर पर जायज़ नहीं। अल्लाह तआला दिलों के चोर को ख़ूब जानते हैं। —दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें पृ० 97

मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में मुबारक बीवियों का बालों को लेकर जो ज़िक्र किया गया है मुस्लिम शरीफ़ के शारेह क़ाज़ी अयाज़ वग़ैरह ने इसका यही मतलब बयान किया है। क़ाज़ी अयाज़ ने लिखा है कि अरब की औरत की आदत बालों की चोटी बनाने की थी। पाक बीवीयों ने हज़रत ﷺ के विसाल के बाद ज़ीनत के तर्क करने और बाल को लम्बा करने से बेनियाज़ होने की वजह से ऐसा किया था।

इमाम नववी रह० फ़रमाते हैं कि यही तै है। हज़रत ﷺ की ज़िंदगी में ऐसा करने का ख़्याल भी नहीं किया जा सकता।

यह रिसाला लिखा गया

यह सिसाला मैंने मदीना मुनव्वरा में अल्लाह की तौफ़ीक़ से जुमादल ऊला 1408 हि० में मौलाना हाशिम बुख़ारी मुहाजिर मदनी रह० ख़लीफ़ा हज़रत मौलाना शेख़ मुहम्मद ज़करिया रह० व पहले के मुदर्रिस दारुल उलूम देवबन्द के हुक्म से अरबी में लिखा था। मैं उनको यह रिसाला देकर हिन्दुस्तान पहुंचा। वहां ख़बर मिली कि मौलाना का इंतिक़ाल हो गया। (इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) मौलाना ने यह मस्विदा मेरे एक शागिर्द को जो मदीना युनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, साफ़ करने के लिए दिया था। मौलाना के इंतिक़ाल के बाद उस शागिर्द ने यह रिसाला मेरे पास भेज दिया। आज उसी रिसाले से घट-बढ़ के बाद यह किताब मुकम्मल कर रहा हूं। उम्मीद है अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर शाया होगा।

अल्लाह तआला इसको क़ुबूल फ़रमाए और मेरे लिए और मौलाना

हाशिम बुख़ारी रह० के लिए और तर्जुमा करने वाले और इशाअत में मदद करने वालों के लिए नजात का ज़रिया बनाए। (आमीन)

व सल्लल्लाहु अलन्नबी यिल उम्मी व आलिही व सल्लिम वल हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आख़रन०

—फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी
आज़ादोल, दक्खिनी अफ़्रीक़ा
15 मुहर्रम, 1416 हि०
मुताबिक़ 14 जून 1995 ई०

शरीअत के एहकाम कई तरह के हैं, और उनके दर्जे और मर्तबे में भी फ़र्क़ है, शरीअत की बहुत सी तालीमात ऐसी हैं कि उनकी हैसियत इस्लामी पहचान और शनाख़्त की है, जिनको "शिआर" कहा जाता है। जिस तरह किसी फ़ौज, किसी पार्टी और किसी स्कूल कॉलेज की यूनीफ़ार्म होती है, उसी तरह कुछ काम ऐसे हैं कि उनका जिस हालत में हो उसी हालत में रखना, और उनमें फेर बदल न करना अपनी शनाख़्त की हिफ़ाज़त के लिये ज़रुरी है। मुसलमान मर्द के लिये दाढ़ी भी ऐसी ही चीज़ है और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस पर अमल करते रहे हैं।

ISBN 81-7101-486-0 www.idara.co
9788171014866 ₹ 25000